महत्वपूर्ण

संख्या-685/2024/45एन0जी0टी0/2024-27-सिं0-4-11(रिट)(एन0जी0टी0)/2019

प्रेषक,

डॉ0 अरविन्द कुमार चौरसिया,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग,
उ0प्र0 शासन।

2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उ0प्र0,शासन।

3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
राजस्व विभाग,
उ0प्र0 शासन।

4. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0,लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक: 21 दिसम्बर, 2024

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-673/2018 जैकब कोसी बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया व अन्य (निस्तारित) एवं ओ0ए0 सं0-316/2022 डा.शरद गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-9-2024 के अनुपालन में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट के क्रियान्वयन के क्रम में यमुना नदी के फ्लड प्लेन जोन घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या- 673/2018 जैकब कोसी बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया व अन्य (निस्तारित) एवं ओ0ए0 सं0-316/2022 डा.शरद गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-9-2024 एवं मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन) कार्यालय प्रमुख अभियंता, सिचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 के पत्र दिनांक 11-12-2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा यमुना नदी के क्रिटीकल रीच 'असगरपुर से इटावा एवं शाहपुर से प्रयागराज'' तक 100 वर्ष के रिटर्न पीरियड की बाढ़ के आधार पर बाढ़ मैदान क्षेत्र के निर्धारण एवं सीमांकन हेतु अधिसूचना निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में उपलब्ध कराया गया है।

2- मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में ओ०ए० संख्या-673/2018 में यमुना नदी के क्रिटीकल रीच "असगरपुर से इटावा एवं शाहपुर से प्रयागराज" तक के फ्लड प्लेन जोन के चिन्हांकन के निर्देश दिये गये है। पुनः ओ०ए० संख्या-316/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.09.2024 के अन्तर्गत यमुना नदी के क्रिटीकल रीच "असगरपुर से इटावा एवं शाहपुर से प्रयागराज" तक के फ्लड प्लेन जोन के चिन्हाकंन की रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली को दिनांक 30.11.2024 तक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में प्रस्तुत करते हुए सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ०प्र०, को दिनांक 21.12.2024 तक गजट नोटिफिकेशन जारी करने हेतु निर्देश दिये गये है।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. तत्क्रम में केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली द्वारा यमुना नदी के रीच "असगरपुर से इटावा एवं शाहपुर से प्रयागराज" तक के फ्लड प्लेन जोन के Coordinates (Latitude & Longitude) दिनांक 21.11.2024 को ई-मेल द्वारा उपलब्ध कराये गये एवं पुनः दिनांक 30.11.2024 को अन्तिम रिपोर्ट (Latitude & Longitude) के साथ उपलब्ध करायी गयी है जिसके अनुसार "असगरपुर से इटावा एवं शाहपुर से प्रयागराज" तक के मध्य पड़ने वाले जनपदों में खण्डों द्वारा ग्राउन्ड ट्रूथ वेरीफिकेशन दिनांक 05.12.2024 तक पूर्ण करा लिया गया है। यमुना नदी के रीच "असगरपुर से इटावा एवं शाहपुर से प्रयागराज" तक के फ्लड प्लेन जोन के Coordinates (Latitude & Longitude) एवं आलेख, मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेशों के अनुपालनार्थ फ्लड प्लेन जोन के गजट नोटिफिकेशन हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

4. उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ओ0ए0 सं0-673/2018 (निस्तारित) एवं ओ0ए0 सं0-316/2022 में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-9-2024 के प्रस्तर- 5,17 एवं 32 में निम्न निर्देश दिये गये हैः-

" 5- II. Department of Irrigation

Demarcation of the Flood Plain Zone in GIS format including the geo-coordinates or locations of marking pillars.

III. Other concerned departments of the State Government (District Administration, Mines Departments) Details of any other activities outside forest land, as complainant; such as earth cutting resulting in soil erosion/changing land use pattern.

17. Another reply/updated report was filed by District Magistrate, Agra vide email dated 17.11.2023 stating that for demarcation, 1,020 pillars have been installed after total station survey with the help of Differential Global Positioning System (hereinafter referred to as "DGPS"). It is further said that Central Water Commission (hereinafter referred to as "CWC") 13 vide office memorandum dated 05.09.2023 has constituted a "Committee for Flood Plain Zoning of river Yamuna" for the stretches:

(i) From Asgerpur to Itawah

(ii) From Shahpur to Prayagraj.

32. It means that in case report is submitted by 30.11.2024, requisite notification by State of UP shall be issued by 21.12.2024

5. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-673/2018 (निस्तारित) एवं ओ0ए0 सं0-316/2022 में पारित आदेश दिनांक 11-9-2024 के अनुपालन में केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली द्वारा यमुना नदी के रीच "असगरपुर से इटावा एवं शाहपुर से प्रयागराज" तक के फ्लड प्लेन जोन के Coordinates (Latitude & Longitude) उपलब्ध कराये गये हैं।

6. प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष सिचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रस्तावानुसार केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराये गये 100 वर्ष में एक बार बाढ़ की प्रत्याशा में यमुना नदी के रीच "असगरपुर से इटावा एवं शाहपुर से प्रयागराज" तक के फ्लड प्लेन जोन के

http://shasanadesh.up.gov.in

Coordinates (Latitude & Longitude) के आधार पर प्रदेश के सीमान्तर्गत निम्नलिखित जनपदों में फ्लड प्लेन जोन अधिसूचित किया जाना हैः-

क्रमांक	जनपद	लांगीट्यूड एवं लैटिट्यूड
1.	गौतमबुद्ध नगर	संलग्नक-1
2.	अलीगढ	संलग्नक-2
3.	मथुरा	संलग्नक-3
4.	हाथरस	संलग्नक-4
5.	आगरा	संलग्नक-5
6.	फिरोजाबाद	संलग्नक-6
7.	इटावा	संलग्नक-7
8.	जालौन	संलग्नक-8
9.	औरैया	संलग्नक-9
10.	कानपुर देहात	संलग्नक-10
11.	हमीरपुर	संलग्नक-11
12.	कानपुर	संलग्नक-12
13.	फतेहपुर	संलग्नक-13
14.	बाँदा	संलग्नक-14
15.	चित्रकूट	संलग्नक-15
16	कौशाम्बी	संलग्नक-16
17	प्रयागराज	संलग्नक-17

7- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ओ०ए० संख्या- 673/2018 जैकब कोसी बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया व अन्य (निस्तारित) एवं ओ0ए0 सं0-316/2022 डा.शरद गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-9-2024 के अनुपालन में यमुना नदी के क्रिटीकल रीच 'असगरपुर से इटावा एवं शाहपुर से प्रयागराज'' तक 100 वर्ष के रिटर्न पीरियड की बाढ़ के

http://shasanadesh.up.gov.in

आधार पर बाढ़ मैदान क्षेत्र के निर्धारण एवं सीमांकन हेतु जनपद गौतमबुद्ध नगर, अलीगढ, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, जालौन, औरैया, कानपुर देहात, हमीरपुर, कानपुर, फतेहपुर, बाँदा, चित्रकूट, कौशाम्बी एवं प्रयागराज में फ्लड प्लेन जोन के Coordinates (Latitude & Longitude)(प्रति संलग्न) के आधार पर फ्लड प्लेन जोन निर्धारित किया जाता है। इस सम्बन्ध मे एन.एम.सी.जी, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण एवं विभिन्न मा0 न्यायालयों द्वारा समय समय पर पारित दिशा-निर्देश एवं आदेश प्रभावी होंगें।

8. उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्न-यथोक्त

भवदीय,
डॉ0 अरविन्द कुमार चौरसिया
विशेष सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-685/2024/45एन0जी0टी0 (1)/2024-27-सिं0-4-11(रिट)(एन0जी0टी0) /2019, दिनांक 21 दिसम्बर, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
8. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, लखनऊ।
9. प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, प्रमुख अभियन्ता(परिकल्प एवं नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 एवं प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10. संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
11. संबंधित जनपद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
12. संबंधित जनपद के विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, उ0प्र0।
13. संबंधित जनपद के प्रशासक/मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम/नगर पालिका, उ0प्र0।
14. संबंधित क्षेत्र के नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के अध्यक्ष, उ0प्र0।
15. समस्त विनियमित क्षेत्रों के नियत प्राधिकारी, उ0प्र0।
16. संबंधित क्षेत्र के अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।

http://shasanadesh.up.gov.in

17. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को इस आशय से प्रेषित की उक्त सूचना प्रदेश के व्यापक प्रचार-प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए स्थानीय दूरदर्शन पर समाचार के माध्यम से प्रसारित कराने का कष्ट करें।
18. सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2 को उपर्युक्त प्रस्तर-7 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु।
19. सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के समस्त अनुभाग।
20. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अमित प्रणव
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in